पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 206/2025

अनवान :

1. सतपाल पुत्र मांगेराम जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
2. योगेश पुत्र विनोद जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र करणाराम जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
2. जयपाल पुत्र मांगेराम जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
3. इन्द्रावती पत्नी मांगेराम जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
4. विनोद पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
5. मन्जु पत्नी विनोद जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
6. किरण पुत्री विनोद जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
7. रविना पुत्री विनोद जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
8. तारावती पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
9. रोशनी पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
10. सरोज पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
11. आरएमजीबी शाखा घेऊ जरिये शाखा प्रबंधक घेऊ तहसील भादरा।
12. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद पुनियां एवं वकील प्रतिवादीगण उम्मेद मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घेऊ के जमाबंदी संवत 2075–78 के खाता संख्या 27/23 के खसरा संख्या 636 की 9.0670 है0 तथा खसरा संख्या 667 के 6.2350 है0 कुल खसरा 2 की 15.3020 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश का नाम कलमजन किया जाकर वादी सतपाल एवं प्रतिवादी संख्या 2 जयपाल को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर तथा वादी योगेश तथा प्रतिवादी संख्या 4 विनोद को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1, 3, 5 ता 10 ने अपना हक हिस्सा वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 2 तथा 4 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.12.26 11:47:30 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04.12.2025 को हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(निधि उड़सरिया)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़